फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

मन्जू बनाम जगदीश वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष : 16 / 2018

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/1/22	[illegible] 27/1/23
	02/01/23	पत्रावली में प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र लाया छिड़ी करने बाबत पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में इस्तगाह पत्र छिड़ी किया जा चुका है अब इस प्रार्थना पत्र को लाने, चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः अपील पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर छिड़ी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख पत्र है तथा बाद दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़